



राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिनांक 30.08.2017

एस.ओ. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 68) की धारा 9 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा जोधपुर जिले हेतु गठित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जोधपुर 'प्रथम' एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जोधपुर 'द्वितीय' का क्षेत्राधिकार जोधपुर महानगर एवं जोधपुर ग्रामीण में स्थापित आरक्षी केन्द्र/थाने के आधार पर निम्नानुसार अधिसूचित करती है:-

क्र.सं.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच	क्षेत्राधिकार
1	जोधपुर (प्रथम)	(1) बिलाडा (2) भोपालगढ़ (3) पीपाड शहर (4) ओसियां (5) खेडपा (6) भोजासर (7) बालेसर (8) शेरगढ़ (9) देचू (10) फलोदी (11) लोहावट (12) वाप (13) जाम्बा।
2	जोधपुर (द्वितीय)	(1) महामंदिर (2) उदय मंदिर (3) रातानाडा (4) सदर बाजार (5) खाण्डा फलसा (6) सरदारपुरा (7) शास्त्री नगर (8) बासनी (9) प्रतापनगर (10) चौपासनी हाउसिंग बोर्ड (11) सूरसागर (12) लूणी (13) मथानिया (14) झंवर।

एफ 89(6)उ.मा.वि./उ.सं./2012
राज्यपाल की आज्ञा से,

ए.

(प्रीति माथुर)
अतिरिक्त निदेशक एवं
उप शासन सचिव

हस्ता

3/7/17

3643
3/7/17

